फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम नावां (डीडवाना–कुचामन)

प्रार्थी / वादी — **अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण**

विनोद — **बनाम** — **कल्याणमल वगैरह**

किस्म प्रकरण : वादपत्र — मुकदमा नं. 112 / 2014

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
15.01.2026	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण अधीन धारा 188 आरटीएक्ट 1955 के तहत दिनांक 26.08.2014 से अर्थात 12 साल से तलबी हेतु न्यायालय में विचाराधीन है। जबकि उक्त प्रकरण सम्मरी प्रोसेडिंग का है, जिसके निस्तारण की समय सीमा 3 माह है। वकील वादी ने प्रकरण में अप्रार्थीगण की तलबी हेतु अवसर ओर चाहा है। पूर्व में वकील प्रार्थी को अनेक अवसर दिये गये थे साथ ही वकील वादी के निवेदन पर वकील वादी को गत तारीख पेशी दिनांक : 21/10/2024 को प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को मध्यनजर रखते हुये एक अन्तिम अवसर ओर प्रकरण में सीपीसी प्रावधानुसार आदेश 09 नियम 05 के तहत खारिज किये जाने की हिदायत के साथ तलबी हेतु दिया गया था, तत्पश्चात वकुलाय के कन्डोलेन्स एवं पीठासीन अधिकारी के राजकार्य में व्यस्त रहने के चलते भी तलबी हेतु अवसर स्वतः प्राप्त हुये परन्तु वकील प्रार्थी ने साबिका आदेश दिनांक 26.08.2014 की पालना में तलबी सम्मन पेश नहीं किये। अतः वादी का वादपत्र अधीन धारा 188 एक्ट 1955 बावजूद हिदायत न्यायालय आदेश की पालना नहीं की जाने पर आदेश–9 नियम–5 के तहत अदम तकमील में खारिज किया जाता है। (दिव्या सोनी) उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना–कुचामन) उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना-कुचामन)	

Scanned with OKEN Scanner